न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1358–तीन/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28–8–2008– पारित व्दारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण कमांक 477/2005–06 अपील

नारायण सिंह पुत्र शॅकरलाल कुम्हार
ग्राम मुण्डलाय तहसील गुलाना,
जिला शाजापुर म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती पार्वती पत्नि गोकुलप्रसाद
मृत वारिस
(1) रमेश (2) कालूराम पुत्रगण गोकुलप्रसाद
दोनों निवासी ग्राम अकोदिया तहसील गुलाना
जिला शाजापुर मध्य प्रदेश

2– हजारीलाल पुत्र शॅकरलाल कुम्हार
ग्राम मुण्डलाय तहसील गुलाना जिला शाजापुर--- अनावेदकगण

(श्री एस0एन0उपाध्याय अभिभाषक – आवेदक)
(श्री प्रताप मेहता अभिभाषक – अनावेदक क्र–1 के वारिसान)
(अनावेदक क्र–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 02 जनवरी, 2016)

अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 477/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–8–2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र-1 महिला पार्वतीवाई ने तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम मुडलाय की भूमि सर्वे नंबर 1275 रकबा 0.23 है0 , 1288 रकबा 0.45 हैक्टर, 1287 रकबा 0.71 हैक्टर, 1289 रकबा 0.68 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के सीमांकन का आवेदन दिया, जिस पर से राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 6-7-2003 को मौके पर जाकर सीमांकन किया। सीमांकन करने पर भूमि सर्वे क्रमांक 1275, 1288, 1287 पर नारायण सिंह का एंव सर्वे क्रमांक 1289 पर हजारीलाल का कब्जा होना पाया गया। फलस्वरूप अनावेदक क्रमांक 1 ने ग्राम न्यायालय गुलाना में दिनांक 21.8.2003 को कब्जा दिलाने हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन दिया। ग्राम न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई उपरांत प्रकरण क्रमांक 21 अ 70/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 14-6-2005 से नारायण सिंह एंव हजारीलाल को 07 दिवस में कब्जा देकर रसीद सौंपने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक एंव अनावेदक क्र-2 ने अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर ने प्रकरण क्रमांक 29/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-6-2006 से अपील स्वीकार कर ग्राम न्यायालय का आदेश दिनांक 14-6-2006 निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र-1 ने अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण क्रमांक 477/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-8-2008 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19-6-2006 निरस्त किया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक एंव एंव अनावेदक क्र-1 के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक एंव अनावेदक क्र-2 सगे भाई हैं एंव अनावेदक क्र-1 उनकी सगी बहिन है। पिताजी शॅकरलाल की मृत्यु 1983 में होने के वाद वारिसाना नामांत्रण हुआ, तभी से आवेदक एंव अनावेदक क्र-2 भूमि पर काविज होकर खेती करते आ रहे हैं अनावेदक क्र-1 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है और न ही उसके व्दारा खेती की गई है। अनावेदक क्र-1 ने गलत सीमांकन कराया है उसका उद्वेश्य मात्र सीमांकन कराकर लम्बे समय के कब्जे को विखण्डित करना है । धारा 250 का आवेदन 2 वर्ष से अधिक अवधि वाद दिये जाने के कारण विचार योग्य ही नहीं था इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है, किन्तु अपर आयुक्त व्दारा गलत आधारों पर निष्कर्ष निकालते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने की त्रुटि की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाय।

अनावेदक क्र-1 पार्वती के अभिभाषक ने बताया कि पिता शॅकरलाल की मृत्यु 1983 में होने के बाद उसकी पुत्री पार्वती का नामान्तरण हुआ तथा विचाराधीन भूमि उसे भूमि प्राप्त हुई है और वह निरन्तर खेती करते आई है किन्तु आवेदक एंव अनावेदक क्र-2 ने भाई होते हुये भी पार्वतीवाई की भूमि अपनी भूमि में वर्ष दर वर्ष बढ़ते हुये मिलाने का प्रयास किया, तब उसके व्दारा सीमांकन कराया गया एंव सीमांकन में वादग्रस्त भूमि एंव रकबा पर आवेदक एंव अनावेदक कं-2 का कब्जा पाने से ग्राम न्यायालय में 2 वर्ष के भीतर आवेदन दिया गया है। उन्होंने ग्राम न्यायालय के आदेश को

एंव अपर आयुक्त के आदेश को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि अनावेदक क्र-1 पार्वतीवाई ने तहसीलदार गुलाना को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम मुडलाय स्थित उसके नाम की भूमि सर्वे नंबर 1275 रकबा 0.23 है0 , 1288 रकबा 0.45 हैक्टर, 1287 रकबा 0.71 हैक्टर, 1289 रकबा 0.68 हैक्टर के सीमांकन की मांग की, जिस पर से तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक ——— 165 अ-12/2002-03 पंजीबद्ध हुआ एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 गुलाना को तहसीलदार ने सीमांकन करने के निर्देश दिये । राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 6-7-2003 को मौके पर जाकर सीमांकन किया है। सीमांकन करने पर पार्वतीवाई के नाम की भूमि सर्वे क्रमांक 1275, 1288, 1287 पर नारायण सिंह का एंव 1289 पर हजारीलाल का कब्जा होना पाया गया। सीमांकन दिनांक 6-7-2003 के वाद आवेदिका पार्वतीवाई को कब्जे की जानकारी होने पर ग्राम न्यायालय में संहिता की धारा 250 का दावा दिनांक 21-8-2003 को प्रस्तुत किया गया, जबकि आवेदक वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा 1983 से होना बता रहे हैं। आवेदक एंव अनावेदक क्र-2 ग्राम न्यायालय के समक्ष खसरा प्रविष्टि से एंव अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज से अथवा मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा 1983 से है। अनावेदिका क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि अभिलेख के आधार पर प्रकट है कि सीमांकन दिनांक 6-7-2003 से महिला पार्वतीवाई को कब्जे की जानकारी होने पर ग्राम न्यायालय में संहिता की धारा 250 का

दावा दिनांक 21-8-2003 को प्रस्तुत होने से समयावधि में माना जावेगा, जबकि संहिता की धारा 250 में यह समयावधि कब्जे से 2 वर्ष के भीतर आवेदन करने हेतु नियत है और इन्हीं कारणों से ग्राम न्यायालय एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष उचित है, जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 477/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-8-2008 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर